(श्री रामविलास मुस्तेमवार)

अपनाई गई तो आने वाले पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी, राष्ट्र का चरित्र गिरेगा।

(v) Demand for releasing more water in canals for integrating the drying crops in Kota and Boondi (Rajsthan).

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, कोटा व बूंदी जिले (राजस्थान) की रबी की फसलें नहरों में पानी न छोड़ने के कारण सूखने लग गयी हैं। कोटा के चम्बल बांध से दाहिनी व बाई मुख्य नहरों से कोटा-बूंदी जिलों की फसलों को पानी देना कतई बन्द किया हुआ है। नहरों की टेल पर तो बीज बोने तक के लिए पानी मुहैया नहीं कराया गया। शेष भूमि पर अभी तक केवल एक पानी मुश्किल से पहुंच पाया है, जिसके कारण फसलें सूखनी आरम्भ हो गयी हैं। मध्य प्रदेश को पानी देना बताकर कोटा और बूंदी जिले में नहरों को काफी समय से बन्द किया हुआ है ऐसी विषम परिस्थिति में जब कोटा व बूंदी जिले के चंबल सिंचित क्षेत्र में पानी के अभाव में फसलें सूख रही हैं, सम्पूर्ण उपलब्ध पानी प्राथमिकता पर कोटा बूंदी जिले की फसलें को दिए जाने की व्यवस्था की जाये।

(vi) Need to amend the Forest Act, 1980

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वन-अधिनियम 1980 के प्राविधानों के तहत निर्धारित नियम एवं उपनियमों के कारण उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास कार्य जैसे सड़क, पेयजल योजना, विद्युतीकरण, पुल निर्माण, भवन निर्माण के कार्य लगभग ठप्प पड़ गए हैं। अधिनियम के पारित होने से पूर्व के वर्षों में स्वीकृत या अधिनिर्मित कार्य भी रुक गए हैं। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र के जनपद अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ में सन् 1976-80 के मध्य स्वीकृत दर्जनों निर्माण कार्य केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के अभाव में रुके पड़े हैं। 1981-82 में स्वीकृत मोटर मार्गों आदि के प्रस्ताव अभी भी संयुक्त सर्वेक्षण के बाद राज्य सरकार तक नहीं पहुंचे हैं। इन क्षेत्रों में नाम भूमि के अलावा समस्त वेनाप भूमि 1983 के एक नोटिफिकेशन के आधार पर सुरक्षित क्षेत्र मान लिया गया है। गरीब लोग मकान बनाने के लिए भूमि नहीं पा रहे हैं। इन क्षेत्रों में सर्वत्र एक व्यापक आक्रोश एवं असंतोष पैदा होता जा रहा है। लोग वनों की सुरक्षा के प्रति उदास हो रहे हैं। इस सब का दुष्प्रभाव हमारी वन संवर्धन नीति पर पड़ रहा है। जनता के सहयोग के बिना वनों को बचाना व सम्बर्धन असंभव है।

मेरा आग्रह है कि वर्तमान अधिनियम को संशोधित कर लिया जाए। केवल रिजर्व वन के संदर्भ में ही निर्माण कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक होना चाहिए। अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व के स्वीकृत कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में प्रक्रिया को अति सरल बनाना आवश्यक है।

नियम इस प्रकार के निर्धारित होने चाहिए कि समस्त प्रक्रिया में तीन माह से अधिक का समय न लगे तथा जिस भूमि में पेड़ न हों, उसके संदर्भ में केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक न होवे।

———

12.20 hrs.

GENERAL BUDGET, 1984-85 — GENERAL DISCUSSION—*Contd.*

MR. SPEAKER : Now, we resume further discussion on the Budget (General). Shri Vairale,